	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/25	पत्रा. पेश। वकील पक्ष. उपस्थित। वास्ते आदेश 10/11/25 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
10/11/25	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण ... न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. र मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली वास्ते पूर्वादेश दिनांक 24/11/25 को पेश हो।	
24/11/25	वास्ते आदेश 24/12/25 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
24/12/25	पत्रा. पेश। वास्ते आदेश 5/1/26 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
5/1/26	पत्रावली पेश। वकील पक्ष. उप.। वास्ते आदेश 30/1/26 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)	
30/1/26.	पत्रा पेश। वास्ते आदेश 6/3/26 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
6/3/26.	पत्रा. पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी की प्रार्थना है कि – Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	पूर्व खसरा 645 प्रार्थीगण के पिता कान्हा व खसरा 646 प्रभूलाल के खाते दर्ज रहा था। इन्तकाल संख्या 583 दिनांक 5.01.1978 से उक्त भूमियो पर खसरा न. 646 के लिए कान्हा व 645 के लिए प्रभूलाल के खाते दर्ज करने का आदेश हुआ। वादी का कथन है कि settlement विभाग द्वारा उक्त आदेश का अवलोकन किए बिना पूर्व इन्द्राज को ही आगे की जमाबन्दीयो में प्रविष्टी करते गए। 25.03.2014 में वादी ने इस न्यायालय में त्रुटि को सही करने हेतु वाद पेश किया। 2019 में प्रभुलाल ने उक्त ज़मीन को अप्रार्थी 1-4 को बेच दिया। 2020 में वादी ने प्रार्थना पत्र से पिछले वाद को withdraw करके नए खातेदारो के खिलाफ वाद पेश किया। वादी की प्रार्थना है कि नामांतरण संख्या 583 के आदेश के अनुसार settlement विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त किया जाए।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसके विपरीत प्रतिवादी का जवाब है कि – 1) नामांतरण आदेश 563 दिनांक 05.01.1978 एक पक्षीय रूप से पारित किया गया। पूर्व खातेदार प्रभूलाल की सुनवाई नही हुई। 2) अप्रार्थी का यह भी कथन है कि अप्रार्थी 1–4 के पिता द्वारा उक्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.08.2000 को प्रभूलाल से क्रय कि की गई है। तबसे अप्रार्थी उक्त ज़मीन पर काबिज है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय से वर्तमान खसरा नं.730 2.02 है. भूमि को प्रार्थीगण के खाते दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा गया है जो 136 LR Act के प्रार्थना पत्र के अंतर्गत नही बदला जा सकता। अत: प्रार्थना पत्र खिरस्त फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया – 1) खसरा मिलान के मुताबिक गत खसरा 645 से वर्तमान खसरा 729 व गत खसरा 646 से वर्तमान खसरा 730 बनाया।	

उपखण्ड अधिकारी
पंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	जो दोनों पक्षों को स्वीकार है।	
	2) नकल जामाबंदी सम्वत 2054-2057 में खसरा 645 (1.279 hect) काल्हा S/o देवलाल दर्ज है। इसके साथ यह नोट अंकित है कि आदेश तहसील क्रमांक। म्यु अति.। 2000। 2127-28 दिनांक 4.10.2000 से ख.न. 645 प्रभूलाल S/o धन्नालाल जाति भील का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ।	
	3) नकल जामाबंदी 2054-57 खसरा न. 646 (2015 hect) प्रभूलाल S/o धन्नालाल दर्ज है। साथ ही यह नोट अंकित है आदेश तहसील म्यु अति 2000/-2127-28 दिनांक 4.10.2000 ख.न 646 की 1218 भूमि पर काल्हा S/o देवलाल का नाम दर्ज हुआ। व नामा. संख्या 1636 दिनांक 19.3.11 से मृतक काल्हा के स्थान पर उसके वारिसान का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ।	
	4) नकल जामाबंदी 2067-2070 में खसरा न. 730 (2.02 है)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर प्रभूलाल s/o धन्नालाल खातेदार दर्ज है। व खसरा न. 729 (1.28 है) पर कान्हा s/o देवलाल खातेदार दर्ज है। 5) नामांतरण प्रविष्टि क्रम संख्या 910 व दिनांक 08/05/2019 के अनुसार खसरा न. 730 (2.02 है) न्यायालय आदेश 24/2015 के अनुसार क्रेता (अप्रार्थी 1-4) के नाम दर्ज हुआ। 6) उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 8/9/20 को प्रार्थी ने पुराना दावा withdraw कर नवीन कार्यवाही क्रेता के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश किया जो माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया। 7) TDR रिपोर्ट दिनांक 08/01/2024 व रिपोर्ट 20.08.2024 से यह स्पष्ट होता है कि — a) TDR रिपोर्ट 20/08/2024 मद नं. 5 – settlement द्वारा नामा. क्रमांक 563 के आदेश की पुनरावृत्ति न कर उससे पूर्व का इंद्राज ही दर्ज कर दिया गया है।	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	b) TDR रिपोर्ट अनुसार वर्तमान अप्रार्थिगण 1-4 के खाते $\frac{730}{2.20}$ दर्ज है परन्तु वर्तमान में यह ख.न $\frac{729}{1.28}$ पर ही काबिज है व बाकी $\frac{730}{2.02}$ पर काबिज है।
	TDR रिपोर्ट द्वारा गत रिकार्ड अनुसार (नामा 563 व सलग्न नकल जमाबन्दिया 2054-57) सुद्धि किया जाना अपेक्षित है।
	पुराने दर्ज रिकार्ड व TDR रिपोर्ट के मुताबिक सुद्धि किए जाना उचित है।
	प्रतिवादी ने अपने जवाब में दो तर्क पेश करे है जिसे decide करना आवश्यक है।
	1) प्रतिवादी का नामांतरण आदेश 563 दिनांक 05.01.1978 को एक पक्षीय व बिना सुनवाई के आधार पर किया होना बताया गया है।
	यदि ऐसा होता तो प्रतिवादी को इसकी appeal करनी चाहिए थी जो आदिनांक तक नही की गई है।
	2) क्योंकि प्रार्थी वर्तमान खसरा

रीख
म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न. 730/2.02 है. भूमि को प्रार्थीगण के
खाते दर्ज करने का अनुतोष
चाह रहा है जबकि खसरा न.
729 का रकबा 1.28 है Hectare
है इसलिए उक्त वाद धारा 136
LR Act में स्वीकार योग्य नहीं
है।

परन्तु उक्त वाद में नामां संख्या
563 से ~~जमीन~~ पहले खसरा न.
646/9298 को कायदा व ख.न.
६४५/६।।।३ को प्रभूलाल का खातेदार
दर्ज करने का आदेश हो गया
था। जमाबंदी संवत 2054-57
में आदेश का नोट लगा हुआ है।
उक्त अवधि में settlement
जारी था तथा उनके द्वारा नोट
की पुनरावृत्ति न कर उससे
पूर्व का इन्द्राज दर्ज कर दिया
अत: यह तथ्य ~~[illegible]~~ settlement
के द्वारा recording में की गई गलती को
प्रमाणित करता है और
धारा 136 LR Act के तहत
आता है।

~~प्रतिवादी हुक्म~~
न ~~है~~ नामांतरण/563 ~~को challenge~~

उपखण्ड अधिकारी गंजमण्डी

~~किया गया~~ जिससे ~~नामांतरण का~~

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	नामांतरण 5-63 के आदेश अनुसार खातेदारी अधिकार final हो चुके थे settlement में इसमें Record करने में त्रुटि की गई थी। TDR रिपोर्ट से कब्ज़ा की स्थिति भी स्पष्ट होती है जिसमें वादी ख.न. 730 व प्रतिवादी ख.न. 729 में काबिज़ है। TDR द्वारा settlement द्वारा की गई त्रुटि भी मानी गई है। अतः यह न्यायालय वाद स्वीकार करता है व वर्तमान खसरा नं. 730 (पुराना ख. 646) रकबा 2.02 प्रार्थीगण के खाते व वर्तमान खसरा नम्बर 729 (पुराना ख. 645) रकबा 1.28 है. अप्रार्थीगण 1-4 के खाते दर्ज करने का आदेश देता है।
	अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार चैचट को आदेश दिया जाता है आदेश अनुसार जमाबंदी में संशोधन करें।
	निर्णय आज दिनांक 6/3/26 को मेरे द्वारा सुनाया गया।
	फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर व नम्बर से कम हो।
	Che 6/3/26
	उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी